


## माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर के समक्ष

मामा. ३३३८-०३२१६ सिविल रिवीजन कं / २०१६  
प्रस्तुति दिनांक ..... / ..... / २०१६

राजाराम यादव  
रामनगर, बजरंगपुरा के पीछे,  
राजाराम पटेल के भट्टे के पास सांवेर रोड, इन्दौर



1. राजाराम पिता मनीराम पटेल  
निवासी— गोविन्द नगर, खारचा, इन्दौर
2. रमेशचन्द्र पिता श्री मनीराम पटेल

सिविल रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत (राजस्व प्रकरण क्रं. ३/अ-७०/२०१५-१६ दिनांक २५/०७/२०१६ को पारित आदेश के विरुद्ध)



पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि :-

75  
२७-९-१६

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार, मल्हारगंज, इन्दौर, पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार सोनी के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक ३/अ-७०/२०१५-१६ में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दिनांक २५/०७/२०१६ को अन्तरिम आदेश पारित कर कब्जा हटाने संबंधी आदेश दिये गये हैं। जिसके विरुद्ध न्यायार्थ यह रिवीजन/पुनरीक्षण दुखित व पीड़ित होकर प्रस्तुत है :-

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम छोटा बांगड़दा तह. व जिला इन्दौर में सर्वे नं. २३३, २३८ स्थित राम नगर में निवास करता है। इस स्थान पर पुनरीक्षणकर्ता का मकान निर्मित हैं जिसमें वह पिछले ३२-३३ वर्षों से निवास कर रहा हैं।
2. यह कि, उक्त स्थान पुनरीक्षणकर्ता पिछले ३२-३३ वर्षों से विधिक प्राधिकार से क्रय किया गया था। क्रय करने के पश्चात् से आज दिनांक तक उक्त स्थान पर कब्जे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा।
3. यह कि, प्रत्यर्थीगण सर्वे नं. २३६ व २३७ की भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ईट भट्टा का कार्य करते रहे हैं तथा २४ घण्टे प्रत्यर्थीगणों की भूमि पर कुछ ना कुछ काम होता रहा हैं। प्रत्यर्थीगण सुशिक्षित व व्यवसायी हैं तथा अपनी भूमि की सम्पूर्ण जानकारी रखते हैं।



१२

## न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3338-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;"> </p>	